**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(अनुभाग–3)**

क्रमांक एफ 1(02)ग्रावि/नरेगा/माद/56002/2014 जयपुर, दिनांक : 4 MAR 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार **रोजगार की मांग किये जाने पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार प्रति परिवार** उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि विभिन्न स्थानों पर, **ऐसे परिवार जो कि 90 दिवस या इससे अधिक परन्तु 100 दिवस से कम का रोजगार पूर्ण कर चुके हैं, की रोजगार की मांग इस भय से कि परिवार द्वारा 100 दिवस से अधिक का रोजगार नहीं कर लिया जावे, दर्ज नहीं** की जा रही है, जो कि अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है एवं परिवार के अधिकारों का हनन है।

अतः इस संबंध में संबंधित को निर्देश जारी करावें कि **ऐसे परिवारों की रोजगार की मांग दर्ज की जावे एवं नियमानुसार 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध** कराया जावे। साथ ही मॉनिटरिंग करके यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी परिवार को वित्तीय वर्ष 2015–16 में 100 दिवस से अधिक रोजगार नही दिया जावे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभावग्रस्त घोषित ग्राम पंचायतों में अधिकतम सीमा 150 दिवस प्रति परिवार तथा सहरिया, खैरूआ एवं कथौड़ी जनजाति परिवारों के लिए यह सीमा 200 दिवस प्रति परिवार है।

**भवदीय**

3/3/16

**(रोहित कुमार)**
**आयुक्त, ईजीएस**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

03/3/2016

**परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस**